न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), मीरजापुर।

उपस्थितः श्रीमती दीप्ति यादव (उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा)

प्रकीर्ण वाद संख्या–148/2022

राना देवानन्द सिंह पुत्र स्व0 विजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी मौजा कोलना, परगना भगवत, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर। **.....आवेदक।**

बनाम

1– राना गोविन्द बहादुर सिंह

2– राना दयानन्द सिंह

निवासीगण मौजा कोलना, परगना भगवत, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांकः 16–02–2023

आज पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई।उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर प्रार्थना पत्र 3ख पर सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र 3ख मय शपथपत्र 4ग प्रस्तुत कर आवेदक राना देवानन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत कर अपनी माता स्व0 सुदामा देवी के कार्यालय मुख्य कोषागार, मीरजापुर, में संचालित पी0पी0ओ0 खाता सं0–SM116461P162619091 में जमा धनराशि मु0–1,10,220/–रूपये (एक लाख दस हजार दो सौ बीस रूपये) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में मुनादी व प्रकाशन की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। विपक्षीगण राना गोविन्द बहादुर सिंह एवं राना दयानन्द सिंह की ओर से अपनी अनापत्ति कागज सं0–11ग मय शपथपत्र 12ग व 13ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि स्व0 सुदामा देवी के कार्यालय मुख्य कोषागार, मीरजापुर, में संचालित पी0पी0ओ0 खाता सं0–S.M.116461P-162619091 में जमा धनराशि मु0–1,10,220/–रूपये (एक लाख दस हजार दो सौ बीस रूपये) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने में हम विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक की ओर से सूची 6ग से कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, मीरजापुर, में संचालित पी0पी0ओ0 खाता सं0–S.M.116461P-162619091 में जमा धनराशि मु0–1,10,220/– रूपये के बाबत निर्गत पत्र कागज सं0–7ग/1, मृतका सुदामा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र कागज सं0–7ग/2, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र कागज सं0–7ग/3, परिवार रजिस्टर की मूलप्रति कागज सं0–7ग/4, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत कोलना द्वारा मृतका जारी सुदामा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र कागज सं0–7ग/5 दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आवेदक के प्रार्थना पत्र 3ख पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 3ख में आवेदक राना देवानन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत कर अपनी माता स्व0 सुदामा देवी के कार्यालय मुख्य कोषागार, मीरजापुर, में संचालित पी0पी0ओ0 खाता सं0–S.M.116461P-162619091 में जमा धनराशि मु0–1,10,220/–रूपये (एक लाख दस हजार दो सौ बीस रूपये) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की याचना की गयी है तथा विपक्षीगण राना

गोविन्द सिंह एवं राना दयानन्द सिंह की ओर से अपनी अनापत्ति कागज सं0–11ग मय शपथपत्र 12ग व 13ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि स्व0 सुदामा देवी के कार्यालय मुख्य कोषागार, मीरजापुर, में संचालित पी0पी0ओ0 खाता सं0–S.M.116461P-162619091 में जमा धनराशि मु0–1,10,220/–रूपये (एक लाख दस हजार दो सौ बीस रूपये) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अपनी अनापत्ति दर्शित की गयी है। आवेदक का कथन है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 22.04.2020 को हो गयी है। आवेदक के उक्त कथन की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध मृतका के मृत्यु प्रमाण पत्र कागज सं0–7ग/2 एवं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत कोलना द्वारा मृतका जारी सुदामा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र कागज सं0–7ग/5 से होती है। आवेदक व विपक्षीगण के आलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी मृतका का नहीं है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र कागज सं0–7ग/3 तथा परिवार रजिस्टर की मूलप्रति कागज सं0–7ग/4 से होती है। आवेदक व विपक्षीगण द्वारा अपने–अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में नियमानुसार मुनादी एवं प्रकाशन की कार्यवाही कराये जाने के उपरान्त भी अन्य कोई दावेदार उपस्थित नहीं है।

अतः मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर आवेदक के पक्ष में प्रश्नगत धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार प्रार्थना पत्र 3ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3ख स्वीकार किया जाता है। आवेदक राना देवानन्द सिंह के पक्ष में उसकी माता स्व0 सुदामा देवी के कार्यालय मुख्य कोषागार, मीरजापुर, में संचालित पी0पी0ओ0 खाता सं0–S.M.116461P-162619091 में जमा धनराशि मु0–1,10,220/– रूपये (एक लाख दस हजार दो सौ बीस रूपये) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है–

1. आवेदक द्वारा सम्पूर्ण धनराशि के सम्बन्ध में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं एक प्रतिभू व इस आशय की अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर कि भविष्य में उक्त धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है अथवा कोई अन्य दावेदार उपस्थित होकर दावेदारी करता है तो आवेदक उक्त धनराशि को न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी हो।
2. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की धनराशि पर नियमानुसार न्यायालय शुल्क जमा कराये जाने के पश्चात् उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाये।
3. यदि कोई ऋण या प्रतिभूति मृतक के नाम से होगी, तो उसका सम्पूर्ण दायित्व उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में वर्णित धनराशि की सीमा तक आवेदक पर होगा।

तद्नुसार प्रकीर्ण वाद संख्या–148/2022 निस्तारित किया जाता है।

(दीप्ति यादव)
सिविल जज (सी0डि0),
मीरजापुर।

दिनांकः 16–02–2023